भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †756**

उत्तर देने की तारीख- 23/07/2026

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मामलों का निपटान**

†756. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन भूमि पर अधिकारों का दावा करने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्तियों और वन निवासी जनजातीय परिवारों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य जनजाति बहुल राज्यों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित वैयक्तिक और सामुदायिक वन अधिकार दावों की राज्य वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में दावों के अस्वीकृत और लंबित होने के कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों की रक्षा करने, ग्राम सभा को सशक्त बनाने और लघु वन उपज एवं वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से पात्र जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन भूमि अधिकारों की समयबद्ध मान्यता सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित, क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

**(क):** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) और इसके तहत बने नियमों के अनुसार, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) प्रशासन की है, जबकि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मासिक प्रगति रिपोर्ट एकत्रित करता है। एफआरए को 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों से मिली सूचना और 30.06.2026 तक एमपीआर के तहत एकत्रित की गई ताज़ा जानकारी के अनुसार, वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परंपरागत वन निवासियों (ओटीएफडी) ने कुल 54,01,561 दावे दायर किए है। इनमें से 25,42,359 दावों को मंज़ूरी दी गई (अधिकार पत्र बांटे गए) और 18,13,232 दावों को खारिज कर दिया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य जनजातीय बहुल राज्यों (जहाँ एफआरए लागू किया जा रहा है) के विवरण सहित राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों की अवधि में, अर्थात 30.06.2021 से 30.06.2026 तक, कुल 11,36,602 दावे दायर किए गए; इनमें से 5,41,731 दावों को मंज़ूरी दी गई (अधिकार पत्र बांटे गए), 29,524 दावों को खारिज कर दिया गया और 5,65,347 दावे निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान मिले दावों (व्यक्तिगत और सामुदायिक), मंज़ूर किए गए दावों (अधिकार पत्र बांटे गए), खारिज किए गए दावों और निपटाए गए दावों का ब्यौरा - महीने और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार - इस मंत्रालय की वेबसाइट FRA-MPR- https://tribal.nic.in/FRA.aspx पर उपलब्ध है।

**(ग):** राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, 30.06.2026 तक कुल 18,13,232 दावे (कुल दायर दावों का 33.57%) खारिज कर दिए गए हैं। कुछ राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर, दावों के खारिज होने के मुख्य कारण - 13 दिसंबर 2005 से पहले उस ज़मीन पर कब्ज़ा न होना, एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा दावे दायर करना, गैर-वन भूमि पर दावे, सबूतों की कमी, आदि हैं। इसके अलावा, कुल 10,45,970 दावे (दायर किए गए कुल दावों का 19.36%) निर्णय के लिए लंबित हैं। यह देखा गया है कि दावों के लंबित रहने का मुख्य कारण ग्राम सभा, उप-मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के स्तरों पर दावों की जांच और निपटान में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी है। कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एसडीएलसी में जन-प्रतिनिधित्व की कमी के कारण उनके 88.7% लंबित दावे एसडीएलसी स्तर पर ही लंबित हैं। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समय-समय पर होने वाले कई राष्ट्रीय स्तर के परामर्श/बैठकों/कार्यशालाओं में राज्यों को लंबित दावों की प्रोसेसिंग और निपटान में तेज़ी लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

**(घ):** मंत्रालय, 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) योजना के तहत राज्य सरकारों को ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों (सीएफआरएमसी) को मज़बूत करने के लिए आर्थिक मदद देता है, जिसमें सीएफआरएमसी के गठन और कामकाज, समुदाय के नेतृत्व वाली वन प्रबंधन योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने, एफआरए के तहत संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण और सीएफआर प्रबंधन योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में मदद शामिल है।

**(ङ):** जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो एफआरए (वन अधिकार अधिनियम) से जुड़े कानूनी मामलों के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय है, सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि वे एफआरए के प्रावधानों का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र दावेदारों को उनके देय अधिकार मिलें। इसके अलावा, यह मंत्रालय संभावित वन क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए वित्तीय सहायता भी देता है, जिससे राज्य के नोडल विभागों को एफआरए के कार्यान्वयन की योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने में मदद मिल सकती है।

**अनुलग्नक**

**"वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मामलों का निपटान" से संबंधित दिनांक 23.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †756 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**30.06.2026 तक राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्राप्त दावों, मंज़ूर किए गए दावों (अधिकार पत्र बांटे गए), खारिज किए गए दावों और निपटाए गए दावों के राज्य-वार ब्यौरे:**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | 30.06.2026 तक प्राप्त दावों की संख्या | | | 30.06.2026 तक वितरित किए गए अधिकार पत्रों की संख्या | | | अस्वीकृत दावों की संख्या | निपटाये गए दावों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व्यक्तिगत | सामुदायिक | कुल | व्यक्तिगत | सामुदायिक | कुल | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 285,115 | 3,294 | 288,409 | 226,667 | 1,822 | 228,489 | 58,395 | 286,884 |
| 2 | असम | 208,062 | 8,582 | 216,644 | 84,861 | 2,575 | 87,436 | 16,379 | 103,815 |
| 3 | बिहार | 4,696 | 0 | 4,696 | 191 | 0 | 191 | 4,496 | 4,687 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 890,220 | 57,259 | 947,479 | 481,432 | 52,636 | 534,068 | 406,787 | 940,855 |
| 5 | गोवा | 9,978 | 399 | 10,377 | 1,250 | 20 | 1,270 | 1,901 | 3,171 |
| 6 | गुजरात | 183,055 | 7,187 | 190,242 | 98,732 | 4,792 | 103,524 | 2,331 | 105,855 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 6,100 | 868 | 6,968 | 942 | 156 | 1,098 | 56 | 1,154 |
| 8 | झारखंड | 107,032 | 3,724 | 110,756 | 59,866 | 2,104 | 61,970 | 28,107 | 90,077 |
| 9 | कर्नाटक | 289,236 | 5,940 | 295,176 | 15,355 | 1,345 | 16,700 | 262,626 | 279,326 |
| 10 | केरल | 44,580 | 1,018 | 45,598 | 29,523 | 284 | 29,807 | 13,216 | 43,023 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 766,430 | 40,975 | 807,405 | 260,707 | 28,754 | 289,461 | 244,487 | 533,948 |
| 12 | महाराष्ट्र | 397,897 | 11,259 | 409,156 | 199,667 | 8,668 | 208,335 | 172,631 | 380,966 |
| 13 | ओडिशा | 733,158 | 36,819 | 769,977 | 464,504 | 9,432 | 473,936 | 146,345 | 620,281 |
| 14 | राजस्थान | 113,162 | 5,213 | 118,375 | 49,215 | 2,551 | 51,766 | 65,921 | 117,687 |
| 15 | तमिलनाडु | 33,119 | 1,548 | 34,667 | 15,442 | 1,066 | 16,508 | 12,711 | 29,219 |
| 16 | तेलंगाना | 651,822 | 3,427 | 655,249 | 230,735 | 721 | 231,456 | 94,426 | 325,882 |
| 17 | त्रिपुरा | 201,055 | 67 | 201,122 | 131,615 | 65 | 131,680 | 68,472 | 200,152 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 92,972 | 1,194 | 94,166 | 22,537 | 893 | 23,430 | 70,736 | 94,166 |
| 19 | उत्तराखंड | 3,809 | 3,119 | 6,928 | 83 | 1 | 84 | 6,698 | 6,782 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 131,962 | 10,119 | 142,081 | 44,444 | 686 | 45,130 | 96,587 | 141,717 |
| 21 | जम्मू और कश्मीर | 33,233 | 12,857 | 46,090 | 429 | 5,591 | 6,020 | 39,924 | 45,944 |
| **कुल** | | **51,86,693** | **2,14,868** | **54,01,561** | **24,18,197** | **1,24,162** | **25,42,359** | **18,13,232** | **43,55,591** |

*****